1

कहानी कहने का उद्देश्य*

गिजुभाई बधेका

शिक्षा के क्षेत्र में गिजुभाई बधेका का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी या किसी भी विधा का उद्देश्य मनुष्य को केवल आनंद प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि उस रचना के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को सामने रखना भी होता है। गिजू भाई यद्यपि आनंद को अधिक प्राथमिकता देते हैं, तथापि कहानी के अन्य बारीक उद्देश्यों की ओर भी संकेत करते हैं। कहानी किस तरह मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है, जानने के लिए पढ़िए, 'कहानी कहने का उद्देश्य'।

कथा कहानी के शास्त्र का प्रथम प्रकरण कहने के उद्देश्य से संबंधित ही होना चाहिए। जब तक कहानी कहनेवाले व्यक्ति के मन में कहानी कहने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक वह कहानी के चुनाव, उसकी कथावस्तु की क्रमबद्धता तथा कहने की छटा को लेकर अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ अनुभव करेगा।

हमें विदित है कि कहानी सुनकर मनुष्य आनंद का अनुभव करता है। जो कहानियाँ मनुष्य के मन में निराशा के भाव भर देती हैं, उन कहानियों का जीवन क्षणिक होता है। इसके विपरित कई कहानियाँ लोगों को निराशाजनक प्रतीत होती हैं, परंतु उनमें व्यक्त सतही निराशा अनेकानेक दु:खी लोगों के जीवन में आशा का संचार करती है अथवा जो लोग जीवन संघर्ष में हार जाते हैं, उनको संघर्ष के लिए उत्तेजित करती है अत: कहना न होगा कि वे अंतत: एक सहानुभूतिपूर्ण मित्र का दायित्व निभाती हैं। स्वभावतया मनुष्य हर स्थिति में आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अथवा यों भी कह सकते हैं कि वह दु:ख-दर्द को भुला देना चाहता है। इन दोनों वृत्तियों से प्रेरित होकर ही व्यक्ति कहानी सुनता है। कहानी आनंद प्राप्ति की स्वाभाविक खुराक होती है और दर्द की दवा भी। नन्हे बालक अपनी कल्पना की तरंगों में ऊँची उड़ान भरने के लिए, वास्तविकता की दुनिया को जान-समझकर उसके कल्पना के प्रदेश को उघाड़ने के लिए, अपने निजी अनुभवों को कहानी के द्वारा पुन:पुन: ताज़ा करने के लिए, अपनी अधूरी इच्छाएँ पूरी करने के लिए, अपनी अक्रिय भावनाओं के निर्झर को गति से प्रवाहित करने के लिए तथा

* यह अंश *गिजुभाई ग्रंथमाला*, भाग-16 से लिया गया है

अंतत: अपने आसपास की अच्छी न लगने वाली दुनिया और उसकी मर्यादा में आए छोटे-छोटे दु:खों को पल भर भुला देने के लिए कहानियाँ सुनना चाहते हैं। इस चाहत के पीछे उनके भीतर किसी न किसी प्रकार के आनंद की इच्छा रहती है।

हमारी सामाजिक घटनाएँ, घर-परिवार व कुटुंब की व्यवस्था तथा धर्म की संयोजना ऐसी है कि मनुष्य को अनेक निश्छल आनंद तलाश करने में और हाथ लग जाएँ तो उन्हें अनुभव करने में अनेक प्रकार की बाधाएँ सामने आती हैं। कृत्रिम समाज में जहाँ-जहाँ भी स्वाभाविक आनंद का विरोध होता है, वहाँ-वहाँ मनुष्य को कृत्रिम साधनों के द्वारा अपना आनंद तलाशना पड़ता है। कहानी इसी प्रकार का एक साधन है। नाटक और सिनेमा भी ऐसे ही साधन हैं। कोई साधन जितना अधिक शुद्ध होगा, उतना ही अधिक उसका व्यवहार होगा। नाटक और सिनेमा जैसे आनंद देने वाले साधनों की चर्चा को अप्रासंगिक मानते हुए मैं इन्हें एक तरफ़ रख देना चाहूँगा। आनंद देने वाले शुद्ध साधन के रूप में कहानी की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए मैं यहाँ इस पर विचार करना समीचीन समझता हूँ।

हमारा सामाजिक जीवन संपूर्णतया स्वाभाविकता को अंगीकार कर ले, यह न आज, न कल, न ही वर्षों तक संभव है। जब तक इसमें मानवीय आनंद का थोड़ा-बहुत अंश आ नहीं जाता, तब तक कहानी की उपादेयता बनी रहेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब मनुष्य वास्तविकता के सौंदर्य को भलीभाँति समझ लेगा और जब वास्तविकता में वह संपूर्ण सुखों का भोक्ता बन जाएगा, तब मनुष्य को कहानी, उपन्यास, नाटक, सिनेमा और शराब आदि साधनों की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कहानी का माध्यम मनुष्य के लिए हितकर है और इसका प्रथम उद्देश्य है, आनंद। आनंद हमारे जीवन का स्वाभाविक लक्षण है। जीवात्मा आनंदमय वस्तु है। आनंद की भूख और वांछा जीवन की ही भाँति स्वाभाविक है। यह आनंद जितने निर्दोष एवं पवित्र साधनों द्वारा मनुष्य को उपलब्ध कराया जाएगा, उतना ही मानव जाति के लिए उपकारक सिद्ध होगा।

हमारा अनुभव भी ऐसा ही है। रोता हुआ बालक जब कहानी सुनने लगता है, तो रोना भूल जाता है। कहानी पढ़ते-पढ़ते या सुनते-सुनते रोगी अपनी पीड़ा को भूल जाता है। पराजित व निराश मनुष्य कहानी के वाचन और मनन द्वारा फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। स्वस्थ और आशान्वित व्यक्तियों को कहानियों के द्वारा अपने संपूर्ण जीवन के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। युवकों के हृदय कहानियों के माध्यम से अपनी प्रेम प्रतिमा और प्रेम मीमांसा निर्मित करते हैं। बालक व वृद्ध भी कहानियों की शरण लेकर या तो अपने दु:ख-दर्द को भुला देते हैं या फिर उनमें नई चेतना का संचार होता है।

शायद ही कोई देश होगा, जहाँ कथासाहित्य न हो और जहाँ आनंद प्राप्ति के लिए कहानियाँ न कही जाती हों, न पढ़ी जाती हों। हर शाम खाना खा लेने के पश्चात् बालकों के झुंड

कहानी सुनाने के लिए घर के बड़े-बढ़ों को घेर लेते हैं– यह परंपरा धरती पर विकसित समाजों में भी देखने में आती है और अविकसित अथवा जंगली लोगों में भी। देश-परदेश में घूमने वाले मुसाफ़िर किसी रात किसी धर्मशाला में रुकते हैं, तो अन्य देशों के मुसाफ़िरों के साथ बैठकर नई-नई कहानियाँ कहते और सुनते हैं और दिनभर की थकान उतारते हैं। युद्ध के जख्मों को वीरता से झेल लेने वाले सिपाही दवा की शीशियों से भी अधिक महत्त्व कहानियाँ सुनाने वाली नर्स को देते हैं। जेल में सड़ते कैदियों को भी अगर मौका मिल जाता है, तो वे कहानियाँ कहने का प्रसंग ज़रूर ढूँढ लेते हैं। लंबी समुद्री यात्राओं में कहानियाँ ही रात के समय एकमात्र विनोद का माध्यम बनती हैं। राजा और रानी तो हमेशा सोने से पहले कही जाने वाली कहानियों अथवा लोककथाओं में हमसे बार-बार बतियाते हैं। कहानी की यही तो खासियत है कि इसमें सभी आनंद लेते हैं। काका कालेलकर ने थोड़े-से शब्दों में कहानी की महिमा का सुंदरता से यों वर्णन किया है-

'उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के सभी देशों में, विशाल जनपदों अथवा नन्हे टापुओं में, विकसित लोगों अथवा जंगली निवासियों में, बूढ़ों और बच्चों में, गृहस्थियों अथवा संन्यासियों में यदि कोई सर्वमान्य व्यसन देखा जा सकता है, तो वह है– कहानी का व्यसन। संसार में शायद ही कोई गाँव होगा, जहाँ शाम पड़ी हो और कहानियाँ न चलती हों।'

'जहाँ-जहाँ व्यापार के पुराने अड्डे थे, वहाँ-वहाँ दूर देशांतरों के व्यापारी सरायों में इकट्ठे होते थे और फिर चातुरी, ठगबाजी, आशिक-माशूक, कुत्ते-बिल्ली, राजा-रानी, साधु-संतों, दैविक क्षोभ अथवा दैवी चमत्कारों, तंत्र-मंत्र या जादू-टोनों की कहानियाँ ही चलती थीं।'

देखा, कैसी आनंददायी वस्तु है कहानी। कहानी सुनने में मनुष्य को अपूर्व आनंद मिलता है। स्पष्ट है कि कहानी सुनाने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रथम उद्देश्य श्रोता को शुद्ध व संपूर्ण आनंद देना होना चाहिए। एक और दृष्टि से भी ज़रा विचार करें। कहानी सुनाने का प्रथम उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही हो सकता है, क्योंकि इसका आदि स्वभाव आनंद है। कहानी स्वयं एक कलाकृति है और प्रत्येक कलाकृति का मुख्य उद्देश्य उसके परिचय में आने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को आनंद देना ही होता है। प्रत्येक कला की विशिष्ट आत्मा होती है। प्रत्येक कला लोगों को कुछ न कुछ संदेश देना चाहती है। पत्थर में मूर्त्तिवंत कला एक संदेश देती है, तो कैनवास पर चित्रित कला कोई अन्य संदेश देती है। यह संदेश उस मनुष्य की आत्मा में निहित कला का है। मनुष्य की आत्मा अनेक रूपों और रीतियों से व्यक्त होती है। साहित्य, संगीत व कला आदि में आत्मा का प्रतिबिंब है। कहानी लोकजीवन का, लोकात्मा का प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य मानवीय आत्मा की साहित्य-विषयक कला को व्यक्त करना है। संगीत ध्वनि प्रधान कला है, चित्र रूप प्रधान कला है; साहित्य काव्य प्रधान कला है; कहानियाँ

अनेक रसों का भंडार होती हैं। विविध रसों के भोक्ता इन रसों का पान करके आनंद व तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य का यह रस विभाग कहानी में जितने अधिक परिमाण में प्रकट होता है, उतने परिमाण में कहानी एक कलाकृति है तथा उतने ही परिमाण में कहानी कहने का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है।

नाट्यकला का प्रथम उद्देश्य नाटक के दर्शक को आनंदित करना है। नाटक में चाहे जितना ज्ञान भरा हो, अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक बातों से वह चाहे जितना समृद्ध हो, परंतु यदि वह दर्शकों को आनंद नहीं दे सके तो बेकार है। उसके अवांतर लाभ अनेक हो सकते हैं। उसमें अनेक उपयोगी बातें गुँथी हुई हो सकती हैं, परंतु नाटक की सफलता तो उसमें जो आनंद प्रदान करने की शक्ति है, उसमें निहित रहती है। बहुरंगी, स्वस्थ एवं उपयोगी घटनाओं का यदि उसमें से सुसंयोग प्रकट न हो, तो नाटक असफल रहता है। यही बात कहानी की है। अनेक लाभ हैं इसके परंतु लाभ प्रदान करनेवाली वास्तविकताएँ कहानी की अंतरात्मा नहीं अपितु शरीर होती हैं। उसमें से उत्पन्न होनेवाली कला ही इसका प्राण है। इसी से व्यक्ति कहानी की ओर आकृष्ट होता है।

जहाँ कहीं भी शिक्षण की क्रिया आनंद से विहीन रहेगी, वहाँ-वहाँ आज नहीं तो कल, एक वर्ष में नहीं तो दो वर्षों बाद, इस दौर में नहीं तो अगले दौर में शिक्षण कार्य निष्फल हो जाएगा। आज तो शिक्षाशास्त्र के अग्रगण्य विद्वान विचारक बार-बार यही बात कह रहे हैं और प्रमाणित करके बता रहे हैं कि शिक्षण और आनंद दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसके ठीक विपरीत अशिक्षण और निरानंद भी एक ही चीज़ें हैं। आज 'खेल के समय खेल और काम के समय काम' वाला शिक्षण सूत्र बदल रहा है। कुछेक विद्यालयों में 'खेल को काम तथा काम को खेल' माना जाने लगा है। इनमें से भी कुछ थोड़े विद्यालयों ने 'सभी तरह के खेल काम हैं और सभी काम खेल हैं' के जीवन सूत्र को अंगीकार कर लिया है।

यदि यह बात स्वयंसिद्ध है कि कहानी आनंद देने वाली चीज़ है, तो निश्चय ही कहानी को विद्यालयी शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान मिल जाएगा। इसीलिए आज अनेक देशों में कहानी के द्वारा कई-कई विषयों को पढ़ाने की विधि व्यवहार में आने लगी है। प्रथम उद्देश्य से प्रतिफलित होनेवाला यह दूसरा उद्देश्य है। हर तरह के विषय शिक्षण की शुरुआत कहानी सुनाकर की जा सकती है। कहानी द्वारा शिक्षण देने की रीति बहुत पुरानी है। एक अवतरण से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है - 'हिंदुस्तान में भी यात्रा के लिए निकले ऋषि-मुनि अगर कहीं अनुष्ठान कर रहे होते, तो वहाँ कुछ दिन विश्राम करते और अत्यंत उत्साह के साथ धार्मिक कथाओं का विनिमय करते। भगवान बुद्ध हर शाम श्रमण भिक्षुकों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाते थे। ईसामसीह भी धर्मोपदेश के समय कहानियों के माध्यम से ही उपदेश देते थे।' हमारे यहाँ भी राजपुत्रों को धार्मिक कहानियों के द्वारा सभी तरह का ज्ञान दिया जाता था। पंचतंत्र की प्रतिज्ञा वाली बात भी ऐसी ही है। विष्णुशर्मा ने

किस तरह राजा के ढीठ पुत्रों को छह महीनों के अंदर-अंदर पढ़ा-गुना कर बुद्धिमान बना दिया। उपनिषदों में भी महान 'ऋषिगण' विश्व के रहस्यों का उद्‌घाटन करनेवाले सिद्धांत कहानी के माध्यम से ही अपने शिष्यों को समझाते थे। मध्यकाल में और आज भी हमारे जीवंत कथाभट्ट रामायण- महाभारत जैसे विषय कथावार्ता के द्वारा ही बताते हैं। इस पुस्तक के 'कहानी का विशिष्ट उपयोग' प्रकरण में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अतः यहाँ इतनी ही चर्चा करके आगे बढ़ना समीचीन लग रहा है।

कथा-कहानी का तीसरा उद्देश्य है, श्रोताओं की कल्पनाशक्ति को विकसित करना। कल्पना यथार्थ की दूसरी ओर रहती है अथवा कल्पना यथार्थ का विस्तार है। प्रत्येक कल्पना वास्तविकता के मूल में निहित रहती है, परंतु वास्तविकता से अमुक वस्तु कल्पना को प्राप्त करती है तथा उसी में कल्पनाशक्ति का बल विद्यमान रहता है। अंततः मनुष्य का मानस मर्यादित है। इसी से कल्पना का प्रदेश भी मर्यादित है। कल्पना का प्रदेश वास्तविकता की वजह से ही मर्यादित रहता है। कल्पनाशक्ति को विकसित करने का काम कहानी करती है। जब बालक एक, दो, तीन, चार की संख्याएँ सीखता है, तो उसकी समझ में यह बात भी आने लगती है कि इस प्रकार की अनंत संख्याएँ भी हो सकती हैं। जब तक ऐसी समझ नहीं आती, तब तक बालक में गणित विषयक कल्पना भी नहीं आती। एक आदमी मरता है, दो मरते हैं, तीन मरते हैं, इसी भाँति सभी मनुष्य मृत्यु के अधीन हैं, ऐसी समझ पैदा होना कल्पना का क्षेत्र है। विशिष्ट के द्वारा सामान्य को समझने की क्षमता विकसित होना कल्पनाशक्ति की प्रबलता पर निर्भर करता है। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि वास्तविकता के अलग-अलग प्रकार के मिश्रण करके उसे एक नवीन मिश्रण के रूप में प्रस्तुत करना, यह भी कल्पना का क्षेत्र है। भाँति-भाँति के वृक्षों, फूलों और पँखुड़ियों के अध्ययन द्वारा चित्रकला में नए फूल की योजना करना कल्पना के कारण ही संभव है। इस संसार में घटित होनेवाली अनेक प्रकार की घटनाओं के यथार्थ को नवीन रचना शैली में ढालकर उसे एक विशिष्ट घटना बना देना, यही कहानी में निहित कल्पना तत्त्व है। कहानी स्वयं कल्पना का प्रतिफल होती है। भले ही वह वास्तविकता से युक्त हो, तथापि उसका विन्यास कल्पना का परिणाम होता है। अतएव कहानी के द्वारा कल्पनाशक्ति को विकसित करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया जाना वांछनीय है, परंतु यह उद्देश्य गौण है, यह भूलने की बात नहीं। इस संबंध में भी इस पुस्तक में एक प्रकरण में चर्चा की गई है।

शिक्षण की दृष्टि से कहानी कहने का एक और भी उद्देश्य है। यह है विद्यार्थी की भाषा शुद्धि की दक्षता। शुद्ध भाषा ज्ञान के लिए शुद्ध भाषा का परिचय राजमार्ग होता है। कहानी के द्वारा उसका श्रोता कहानी की भाषा के परिचय में आता है। यही नहीं, बल्कि जिन शब्द समूहों, वाक्य प्रयोगों और तुकबंदियों से भाषा अर्थपूर्ण, प्रभावशाली व यथार्थ बनती है, वे

सभी तत्त्व कहानी के श्रवण द्वारा स्वयंमेव श्रोता के अपने बन जाते हैं और उसका भाषा पर स्वच्छ नियंत्रण सध जाता है।

कहानी कहना एक रीति से भी भाषा ज्ञान के विकास में अद्‌भुत मददगार सिद्ध होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बार-बार ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। ऐसे-ऐसे भाव प्रवाहित होते हैं, ऐसे-ऐसे अभिनव अनुभव सामने आते हैं कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए वह भाषा की शरण में दौड़ता है। ऐसे क्षण में यदि उसे वांछित भाषा मिल जाती है, तो अनायास ही उसका भाषा ज्ञान सध जाता है। अनुभव बताता है कि जब हम किसी से बातें करते हैं तथा विशेष प्रकार के विचार अथवा भावों को प्रकट करना चाहते हैं, तो कई बार हमें सही शब्दों की तलाश करनी पड़ती है। हम सही शब्द के लिए जूझने लगते हैं। ऐसे में यदि हमारा साथी हमारे भावों को समझकर हमें सही शब्द चयन में मदद कर देता है, तो हम कह उठते हैं – 'हाँ, बिल्कुल! मैं यही कहना चाहता था। मेरा यही कहने का आशय था।' आदि।

हम देखते हैं कि कई बार जब बालक अपने मन की बात सही शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है, तो इधर-उधर की बातें कहता हुआ अपने आशय को प्रकट करने का प्रयत्न करता है, लेकिन हम उसके मर्म को नहीं समझ पाते और उसकी इच्छा पूरी करने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। बालक हमसे झगड़ने लगता है और हम विवशता से उसकी ओर देखते रहते हैं। ऐसे में यदि किसी होशियार व्यक्ति के दिमाग में बात आ जाए और वह बोल उठे, 'क्या तुम्हें अमुक चीज़ चाहिए?' तो बालक उस नए शब्द को तत्काल पकड़कर अपने स्मृतिकोष में संग्रहित कर लेता है। उसका झगड़ना समाप्त हो जाता है और इच्छा पूरी हो जाने के कारण बालक भाषा ज्ञान में एक और कदम आगे बढ़ाता है।

इस प्रसंग में मनोविज्ञान की दृष्टि से अवलोकन करनेवालों का अनुभव विशाल हो सकता है। जो लोग बालक को वांछित भाषा यथासमय प्रदान करने की कला में प्रवीण हैं, वे भलीभाँति जानते हैं कि जीवन में भाषा ज्ञान के अर्जन की भी एक ऋतु आती है। यदि कोई कुशल व्यक्ति ठीक उसी ऋतु में भाषा की खाद समयानुसार और आवश्यकतानुरूप डालता जाए, तो नि:संदेह बालक की भाषा का वृक्ष आगे चलकर बड़ा ही सघन हो जाता है। साधारणतया हर आदमी बालक के भाषा विकास के क्रम का अनुसरण नहीं कर सकता। इतनी फ़ुर्सत, इतना आग्रह और इतना ज्ञान सभी शिक्षकों में नहीं होता। फिर किस समय कैसा भाषा ज्ञान कराना चाहिए, यह विवेक कर पाना तो और भी कठिन होता है। ऐसी स्थिति में कहानी कहना बहुत उपयोगी रहता है। अलग-अलग स्तर वाले और अलग-अलग जातीय संस्कार वाले बालकों को अलग-अलग प्रकार की भाषा अर्थात् नए-नए भाषा प्रयोग और शब्द सामर्थ्य देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर श्रोता, बालकों के योग्य वांछित भाषा में कहानी कही जाएगी तो सुननेवाले बालक उसमें से अपनी वांछित भाषा तत्काल पकड़ लेंगे। जहाँ पर सामूहिक रूप में बालकों को कहानी

सुनाई जाती है, वहाँ कौन-सा बालक कैसे शब्द प्रयोगों को पकड़ता है, यह जान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ व्यक्तिगत अथवा कुछेक बालकों के स्तर पर कहानी सुनाई जा रही हो, वहाँ वार्ताकार का यह अनुभव सही है कि कहानी की भाषा बालक के भाषा संस्कार में मददगार होती है और उसकी भाषाई ज़रूरत की पूर्ति करती है।

कथा-कहानी के एक और उद्देश्य पर भी दृष्टिपात करें।

कहानी लोकसाहित्य का अंग है। लोकसाहित्य में हमेशा प्रजा की संस्कृति प्रवाहित रहती है। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ियों को लोक की संस्कृति से परिचित कराना है, तो हमें वार्ता कथन और श्रवण की परंपरा को बनाए रखना चाहिए तथा इसकी महत्ता को समझना चाहिए। वार्ताकथन से सीधे-सीधे एक मुँह से दूसरे मुँह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक समाज से दूसरे व्यक्ति तक, तथा एक युग से दूसरे युग तक प्रजा की संस्कृति का संदेश जीवंत रहता आया है। कहानी में मनुष्य जीवन का संपूर्ण चित्र रहता है। उस चित्र का बार-बार परिचय कराए जाने में आनंद आने से मनुष्य को वह कहानी सुनना अच्छा लगता है। उस संपूर्ण चित्र के परिचय में संस्कृति की आत्मा का परिचय मिलता है। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथ हमारे एक काल विशेष की संस्कृति को प्रकट करते हैं, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ भूतकाल की संस्कृति का प्रतिबिंब हमारी आँखों के सामने प्रस्तुत करते हैं, परंतु लोकवार्ताएँ हमें यह बताती हैं कि जीवंत समाज का प्राण कहाँ है और वह कैसा है। लोकसाहित्य का थोड़ा अध्ययन करने पर यह बात बहुत स्पष्टता से हमारे सामने आ जाती है कि हमारे आज के समाज की भावना, शिष्टता और स्तरीयता की स्थिति पूर्व जैसी नहीं है। अपनी संस्कृति का परिचय लोगों को ऐसी वार्ताओं के कथन द्वारा कराया जा सकता है।

चाहे जो कहें, परंतु वार्ता एक जादुई वस्तु है। जो लोग चमत्कार, नवीनता और अद्‌भुतता के वशीभूत हो जाते हैं, उन पर कहानियों का असर भी जादू की माफ़िक होता है। बालकों पर तो कहानियाँ ज़बरदस्त चोट करती हैं। जिस तरह से मंत्रबल से किसी मंत्रवेत्ता या तांत्रिक के हाथ में भूत की शिखा आ जाती है, उसी प्रकार वार्ता के मंत्रबल से मुग्ध हुआ बालक वार्ता कहनेवाले के वशीभूत हो जाता है। यह अधीनता दीनता की नहीं है, अपितु समभाव की है, प्रेमभाव की है। वार्ता कहनेवाला व्यक्ति अपना दृष्टिबिंदु जानता है और उसे व्यक्त करता है। इस कल्पना से सुननेवाला व्यक्ति सुनानेवाले को भूल जाता है। वह उसे अपने जैसा ही मानकर उसके साथ एक-सा भाव अनुभव करता है। इस एकात्मभाव में माता-पिता और बालक, शिक्षक और विद्यार्थी एक-दूसरे के प्रगाढ़ परिचय में आते हैं। उनके बीच से उम्र और ज्ञान का बड़ा अंतर मिट जाता है और वे एक-दूसरे के बन जाते हैं। इससे उनके बीच विश्वास, प्रेम और सहानुभूति अपने आप प्रकट होती है। इस मधुर संबंध से घर, विद्यालय या समाज की व्यवस्था के सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। कहानियाँ सुनाने वाले माता-पिता, अध्यापकों और सभी का अनुभव है कि कहानियाँ

सुनने में रुचि लेने वाले रसिक विद्यार्थी व्यवस्था संबंधी नियमों को बहुत आदर देते हैं। कहानी के भाव स्वयं उनमें एक प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न कर देते हैं। व्यवस्था का ऐसा असर माता-पिता और शिक्षकों ने अन्य अनेक प्रसंगों में अवश्य देखा होगा।

विद्यालयों का शोरगुल कहानी की जादुई छड़ी ऊपर उठने के साथ ही अपने आप शांत हो जाता है। बदमाशी और झगड़ा करनेवाला बालक कहानी शुरू होते ही आनंदमग्न चेहरे से एकदम शांत हो जाता है। कहानी कहनेवाला व्यक्ति अपने हाथ में हमेशा एक प्रकार की ऐसी रामबाण औषधि लिए हुए फिरता है कि जिसके द्वारा बेचैन, बेसुरे, अव्यवस्थित, शोर मचानेवाले, चिड़चिड़े व गुस्सैल बालकों या मनुष्यों को तत्काल व्यवस्थित किया जा सकता है। वार्ता कहनेवाले के लिए ऐसे अनुभव अत्यंत स्वाभाविक हैं। अत: अधिक दृष्टांत देना उचित नहीं है। बाल सँवारने से आनाकानी करनेवाला बालक माँ के मुँह से कहानी शुरू होते ही तत्काल उसकी गोदी में शांति से आकर बैठ जाता है। स्वास्थ्य के माफ़िक न पड़ने वाली चीज़ के लिए झगड़ा करनेवाला बालक कहानी का पहला शब्द कान में पड़ते ही कहानी रूपी मिठाई खाने के लिए दौड़ पड़ता है। बच्चों को सुलाना हो तो लोरी, गीत और कहानी का प्रयोग सदैव उत्तम है। इतने सारे फ़ायदे हैं वार्ताओं के। कहानी कहने के ये उद्देश्य गौण रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं।

दो-एक अन्य दृष्टियों से भी कहानी सुनाना स्वागत योग्य है। जिस प्रकार कहानी सुनने से बालक की कल्पनाशक्ति विकसित होती है, उसी प्रकार कहानी सुनने से उसकी स्मरण शक्ति भी विकसित होती है। एक वस्तु से जुड़ी दूसरी वस्तु याद आती है, एक अनुभव स्मरण करते ही दूसरा याद आता है, एक प्रसंग को ताज़ा करते ही दूसरा प्रसंग झाँकने लगता है और इसका कारण है– स्मरण शक्ति में विचार संकलित करने के तत्त्व का होना। हममें विचार संकलित करने की शक्ति जितने अधिक परिमाण में होगी, उतनी ही अधिक प्रबल होगी हमारी स्मरण शक्ति। कहानी की बुनावट ही ऐसी होती है कि उसमें विचार संकलन अत्यंत सरल और सहज होता है। इस सरलता और अकृत्रिमता का ही परिणाम है कि वार्ता का सूत्र अविच्छिन्न भाव से चला आ रहा है तथा वह स्मरण शक्ति के संपोषण में सहायक है। यहाँ यह सवाल खड़ा करना असंगत होगा कि स्मरण शक्ति जैसी कोई मानसिक शक्ति होती भी है या नहीं। यदि कहानी कहने के परिणाम से विचार करें तो कहना होगा कि इससे स्मरण शक्ति विकसित होती है। यदि यों कहें, तब भी संगत होगा कि वार्ता एक ऐसा साधन है, जिसे प्रयोग में लाए जाने से स्मरण शक्ति को वांछित एवं स्वस्थ व्यायाम मिलता है। असंबद्ध बातों को संग्रहित करने से स्मरण शक्ति कुम्हला जाती है, लेकिन संबद्ध और यथार्थ बातें सुनने से स्मरण शक्ति को लाभदायी व्यायाम मिलता है। कहानी में संबद्धता और यथार्थता के गुण बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं।

वार्ता कथन से बालक में रहनेवाली नट वृत्ति को मार्ग मिलता है। वार्ता कहने का यह

एक अन्य उद्देश्य है। इस बारे में 'कहानी और नाट्य प्रयोग' शीर्षक प्रकरण में विस्तारपूर्वक लिखा गया है, यहाँ तो इस विचार का स्पर्श मात्र करके आगे बढ़ रहा हूँ।

वार्ता कथन के दो-एक विशेष लाभ बताते हुए मैं इस प्रकरण को पूरा करूँगा।

वार्ता कथन मेरे हिसाब से निबंध लेखन का प्रथम सोपान है और होना भी चाहिए। सवाल उठता है कि जिस वस्तु को सुनने के लिए मन आकर्षित होता है, उस वस्तु के सिवाय दूसरी किस चीज़ से मनुष्य लेखन की वस्तु के बतौर आकर्षित होता है। निबंध लेखन में जो सुसंकलना होनी चाहिए तथा जिस क्रमबद्धता और संतुलन की आवश्यकता है, वह कहानी में होने से कहानी शुरुआत के दिनों में निबंध लेखन में बेशक स्वीकार करने योग्य है। फिर निबंध लेखन में विद्यार्थियों को विचाराभिव्यक्ति में जो कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है, वह कहानी के निबंध लेखन में नहीं करनी पड़ती। इसका कारण यह है कि कहानी स्वयं सुधारक, संशोधक होने से वार्ता की शृंखला टूटती नहीं है। अतः विचारों की शृंखला एक समान चलती रहती है। कहानी में कहनेवाले से भूल हो, या कि सुनकर लिखनेवाले से भूल हो, तो वह फौरन पकड़ में आ जाती है। सुसंकल्पना के बगैर कहानी लिखने या कहनेवाला आगे चल ही नहीं सकता। इस कारण कहानी स्वयं शिक्षा देने वाली विद्या है और इसी से वार्ता कथन से निबंध लेखन की ओर प्रवृत्त होना आसान है। यह अनुभव प्रमाण पुष्ट है।

मनुष्य को अनेक तरीकों से ऊँचा उठाने का अर्थात् उसके अभ्युत्थान का उद्देश्य भी है, वार्ताएँ सुनाने का, परंतु यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब वार्ता को आनंद की वस्तु के बतौर आगे रखा जाएगा तथा उपदेशात्मकता के उद्देश्य को ढँककर एक तरफ़ रख दिया जाएगा। धार्मिक पुस्तकें ईश्वर की भाँति आज्ञा देती हैं। अतः उनका कुछ प्रभाव हम पर होता है। इतिहास के ग्रंथ मित्र की भाँति हमारे कान खोलते हैं, परंतु उनको मानने या न मानने के लिए हम स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन वार्ताएँ प्रेमपगी सहधर्मिणी की भाँति हमारे मन को वशीभूत करके मानवीय स्वभाव तथा मानव जीवन के बारे में बोध कराती हुई हमें इस तरह से ऊपर उठा देती हैं कि हमें पता ही नहीं लग पाता। जिन उपदेशों को थोपने में नीतिपाठ असफल सिद्ध होते हैं, उन्हें कहानियाँ अपने में बड़ी ही आसानी से समाहित कर सकती हैं। प्राणियों पर दया करो, यों कहने की बजाय उनके प्रति प्रेम पैदा हो अथवा उनकी दीन दशा देखकर दया उत्पन्न हो, ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं, तो उनका असर कहीं अधिक होता है। इस बाबत में श्रद्धेय काका साहब कालेलकर के सुंदर शब्दों का एक और अवतरण देते हुए मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करूँगा-

'बौद्धकालीन जातक कथाएँ लें, जैनकालीन पंचतंत्र लें, विष्णु शर्मा का हितोपदेश पढ़ें अथवा मिस्र देश की नीति कथाएँ पढ़ें, आपको पता लगेगा कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ, तिर्यग्योनि के साथ, जीव सृष्टि के साथ एकरूप था। रामायण में वाल्मीकि भी पशु-पक्षी,

मत्स्य, वानर आदि समस्त प्राणियों के साथ एकरूप थे। इस समभाव के कारण ही हम समस्त प्राणियों से प्रेम कर सकते थे, उनके स्वभाव से बहुत कुछ सीख सकते थे तथा सभी में एक ही आत्मा का वास है, यह बात समझना सहज था। कहानियों में मनुष्य जाति का प्राचीन-से-प्राचीन और अत्यंत व्यापक जीवन रहस्य है।'

❑❑❑

परख में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

दाएँ से बाएँ

1. गिजुभाई बधेका
3. विष्णु शर्मा
4. चिराग
5. ईदगाह
7. नंदन
10. चकमक
12. स्वामी
14. कहानी
13. मिनी
14. माँ

ऊपर से नीचे

2. रस्किन बांड
6. जातक कथाएँ
8. हैरी पॉटर
9. अलिफ लैला
11. मत्स्य कन्या